<u>न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद</u>

उपस्थित– हरवीर सिंह .....एच०जे०एस

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 181/2024

CNR NO UPFD 010004462024

1– **जितेन्द्र** पुत्र श्री ब्रजकिशोर, निवासी–ग्राम मलूपुरा, थाना–अरांव, जिला फिरोजाबाद। मूल निवास पुसैना, थाना–कोतवाली, जिला–मैनपुरी।.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार..... ... . विपक्षी।

अन्तर्गत धारा 323, 307, 504, 506 भा०दं०सं०
अपराध संख्या 356/2023
थाना–अरांव।
जिला– फिरोजाबाद।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र** पुत्र श्री ब्रजकिशोर की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या **356/2023**, अन्तर्गत धारा **323, 307, 504, 506 भा०दं०सं०** थाना–अरांव, जिला फिरोजाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा अमित कुमार द्वारा थाना–अरांव, जिला फिरोजाबाद में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि दिनांक 28.09.2023 को समय करीब 7.00 बजे शाम को वह अपने घर पर अपनी जगह में लैट्रिन बना रहा था, तभी दूसरे पक्ष के धर्मेन्द्र, जितेन्द्र, मोहन व रूपलाल द्वारा आकर एक राय होकर उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे और कहने लगे कि तुझे यहां लैट्रिन नहीं बनाने देगें, जिसके विरोध करने पर उसे और अत्यधिक मारापीटा। चीख पुकार पर उसका चचेरा भाई सुनील उर्फ कुमरपाल आ गया और उसने बचाने का प्रयास किया तो उस पर भी ताबडतोड चाकू व भाला से बार किये, जिससे उसके भाई के सिर में काफी गम्भीर चोे आयी हैं। गांव के लोगों के आ जाने पर जान से

मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, उसे झूंठा फंसाया गया है, वह निर्दोष है, वह निर्दोष है। अभियोजन कहानी झूंठी एवं मनगढन्त है तथा गलत तथ्यों पर आधारित है। उसने गाली गलौज करते हुए चाकू भाला से कोई हमला नहीं किया है। वह परिवारीजनों के साथ की गयी घटना के सम्बन्ध में सूचना देने थाने गये थे,तभी थाना पुलिस द्वारा थाने पर बैठाकर राजनैतिक दबाव में मुकदमा लिख दिया है। वह सह अभियुक्त धर्मेन्द्र का ममेरा भाई। वह बुजुर्ग व्यक्ति है तथा कैंसर से पीडित है तथा चलने फिरने में असमर्थ है। धारा 307 भा०दं०सं० के अवयव मौजूद नहीं हैं। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही वह पूर्व सजायाप्ता अभियुक्त है। वह दिनांक 23.11.2023 से जिला कारागार में निरूद्ध है। वह जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना तथा केस डायरी एवं अन्य उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के साथ, उस वक्त जब वह अपनी जगह में लैट्रिन बना रहा था, उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट करने, बचाने आये उसके भाई सुनील उर्फ कुमरपाल के साथ चाकू व भाला से लैश होकर एक राय होकर मारपीट कर उसे गम्भीर चोटें कारित किये जाने का आरोप है, जिसका पुष्टि कारक साक्ष्य केस डायरी पर उपलब्ध है। केस डायरी के साथ संलग्न चिकित्सीय आख्या कुमरपाल में चुटैल को चार चोटें, कटे हुए घाव के रूप में आना अंकित करते हुए सी.टी. हैड कराये जाने का कथन अंकित है। चुटैल की पूरक आख्या में एवं सी.टी० स्कैन रिपोर्ट में चुटैल की बांयी पैराइटल बोन में फ्रेक्चर आना अभिकथित है। सह अभियुक्त धर्मेन्द्र व मोहन की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी है। अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से उसके द्वारा अभियोजन साक्षियों को प्रतिकूल प्रभावित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।अभियुक्त द्वारा

कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए व मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

तदनुसार अभियुक्त प्रार्थी/अभियुक्त **जितेन्द्र** पुत्र श्री ब्रजकिशोर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 21.03.2024

(हरवीर सिंह)
सत्र न्यायाधीश
फिरोजाबाद।